पत्र सं०–6 एस०एस०(6)31 / 2025– 2205 /

# बिहार सरकार
# पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक–...../...../2025.

**अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

**द्वारा :–** ****आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

**विषय :–** **राज्य स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2026–27 तक दो वर्षों में कुल ₹ 230.00 लाख (रुपये दो करोड़ तीस लाख) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर कॉम्फेड, पटना अन्तर्गत विभिन्न दुग्ध संघों/इकाईयों में बंद पड़े दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का पुनर्जीवन की योजना तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 115.00 लाख (रुपये एक करोड़ पन्द्रह लाख) मात्र की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त राज्य स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2026–27 तक दो वर्षों में कुल ₹ 230.00 लाख (रुपये दो करोड़ तीस लाख) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर कॉम्फेड, पटना अन्तर्गत विभिन्न दुग्ध संघों/इकाईयों में बंद पड़े दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का पुनर्जीवन की योजना तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 115.00 लाख (रुपये एक करोड़ पन्द्रह लाख) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न।

2. इस योजना के तहत कॉम्फेड के अन्तर्गत कार्यरत दुग्ध संघों/इकाईयों में कई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ बन्द पड़ी है। इन बन्द पड़ी दुग्ध समितियों का पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। ताकि इन क्षेत्रों में फिर से एक सशक्त आत्मनिर्भर और टिकाऊ ग्रामीण दुग्ध व्यवस्था को पुनः खड़ा किया जा सके। इन समितियों की संरचना भवन, पूर्व सदस्यता एवं भू–स्थान आज भी उपलब्ध है। केवल समिति संचालन हेतु आवश्यक कुछ सामग्रियों जैसे कि दूध जाँच उपकरण, रजिस्टर का सेट, समिति के नाम को बोर्ड, मिल्क केन इत्यादि उपलब्ध करा कर इस समितियों को पुनर्जीवित किया जा सकता है जो कि दुग्ध उत्पादन की श्रृंखला की मजबूती प्रदान करेगा।

3. इस योजना का मुख्य उद्देश्य बन्द पड़ी समितियों को पुनः सक्रिय करना– जो समितियाँ अब कार्य नहीं कर रही है उन्हें दोबारा चालू करना, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना– गाँवों में दूध उत्पादन को प्रोत्साहन देना, किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना– दूध का उचित मूल्य दिलाकर उनकी आमदनी बढ़ाना एवं ग्रामीण विकास को गति देना– सहकारी समितियों के जरिये गाँवों को आत्मनिर्भर बनाना।

4. योजना का क्रियान्वयन कॉम्फेड, पटना द्वारा किया जायेगा।

5. बजट शीर्ष और बजट की उपलब्धता :–

(i) मुख्य शीर्ष–2404 –डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102 –डेरी विकास परियोजनाएँ, मांग संख्या–02, उप शीर्ष–0115 –गव्य प्रक्षेत्र की योजनाएँ, विपत्र कोड 02–2404001020115, विषय शीर्ष–0115.31.05 –सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद से विकलनीय होगा।

(ii) मुख्य शीर्ष–2404 –डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–00– लघु शीर्ष–789 –अनुसूचित जातियों के लिए विषेष घटक योजना, मांग संख्या–02, उप शीर्ष–0101 –ग्रामीण डेयरी रोजगार योजनाएँ, विपत्र कोड 02–2404007890101, विषय शीर्ष–0101.31.05 –सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद से विकलनीय होगा।

6. निदेशक, गव्य का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम०–04–15/2009–9736 वि०–2, दिनांक–19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

7. दिनांक–08.05.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यवाही संचिका–6 एस०एस० (6)31/2025 के पृष्ठ 08–07/प०.

8. चुँकि यह योजना राज्य योजना के तहत एक नई योजना है। योजना का लागत मूल्य रुपये 5.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस०(6)31/2025 के पृष्ठ–07/टि० दिनांक–15.05.2025.

9. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। सं०सं०–6 एस०एस०(6)31/2025 के पृष्ठ–07/टि० तथा डायरी सं०–234, दिनांक–15.05.2025.

10. वित्त विभागीय पत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

(गीता सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)31/2025– 2205 /पटना–15, दिनांक–20/05/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)31/2025– 2205 /पटना–15, दिनांक–20/05/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)31/2025– 2205 /पटना–15, दिनांक–20/05/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड, पटना/निदेशक, गव्य, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)31/2025– 2205 /पटना–15, दिनांक–20/05/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय के बजट शाखा/योजना शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)31/2025– 2205 /पटना–15, दिनांक–20/05/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/योजना शाखा–06 के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)31/2025– 2205 /पटना–15, दिनांक–20/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/महालेखाकार, लेखा परीक्षा, महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)31 / 2025– 2205 / पटना–15, दिनांक–...20 / 05... / 2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ आई० टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

# व्यय विवरणी

**राज्य स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2026–27 तक दो वर्षों में कुल ₹ 230.00 लाख (रुपये दो करोड़ तीस लाख) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर कॉम्फेड, पटना अन्तर्गत विभिन्न दुग्ध संघों/इकाईयों में बंद पड़े दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का पुनर्जीवन की योजना तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 115.00 लाख (रुपये एक करोड़ पन्द्रह लाख) मात्र की स्वीकृति हेतु व्यय विवरणी :–**

(राशि लाख में)

| विषय शीर्ष | योजना का विवरण | वित्तीय वर्ष 2025–26 | वित्तीय वर्ष 2026–27 | कुल योग | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम | कोषागार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| विपत्र कोड 02–2404001020115,<br>विषय शीर्ष–0115.31.05 –सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद | कॉम्फेड, पटना अन्तर्गत विभिन्न दुग्ध संघों/इकाईयों में बंद पड़े 1000 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का पुनर्जीवन की योजना | 35.00 | 35.00 | 70.00 | निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना/ प्राधिकृत पदाधिकारी | सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना। |
| विपत्र कोड 02–2404007890101,<br>विषय शीर्ष–0101.31.05 –सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद | | 80.00 | 80.00 | 160.00 | | |
| | **कुल योग** | **115.00** | **115.00** | **230.00** | | |

(रुपये दो करोड़ तीस लाख) मात्र

2205
20/05/25

सरकार के अपर सचिव